

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, डीडवाना
(पीठासीन अधिकारी: रिछपाल सिंह बुरड़क, आर.ए.एस.)

आवेदक:-

श्री राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
नागौर

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त:-

रामगोपाल औझा पुत्र देवीलाल औझा, उम्र 60 जाति ब्राह्मण,
निवासी- राहुगेट के पास, लाडनूं तह. लाडनूं जिला नागौर।
(विक्रेता एवं खाद्य कारोबारकर्ता)

फर्म:- गोपिका फ्लोर मिल्स, राहुगेट के पास, लाडनूं, जिला नागौर।

प्रकरण संख्या:- 06/2020

“ अर्न्तगत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम की धारा 26 की उपधारा 2(v) एवं 31(2)
दण्डनीय धारा 58 ”

उपस्थिति:

प्रतिवादी रामगोपाल औझा पुत्र देवीलाल औझा, उम्र 60 जाति ब्राह्मण,

—:निर्णय :-

दिनांक :- 17 मार्च,2021

- (1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। आवेदक श्री राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादी के विरुद्ध यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 26.07.2019 को समय 01:45 पी.एम. पर फर्म गोपिका फ्लोर मिल्स, राहुगेट के पास, लाडनूं जिला नागौर पर पहुंचा। वहां पर विक्रेता से परिचय लेने व देने पर ज्ञात हुआ कि वह व्यक्ति रामगोपाल औझा पुत्र देवीलाल औझा, उम्र 60 जाति ब्राह्मण, निवासी-राहुगेट के पास, लाडनूं तह. लाडनूं जिला नागौर, फर्म-गोपिका फ्लोर मिल्स, राहुगेट के पास, लाडनूं, जिला नागौर पर मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से मौजूद है, जो आम जनता को विक्रय वास्ते धनिया पाउडर रखे पाये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता मालिक ने फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र मेरे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया।

- (2) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर विक्रेता मालिक की उपस्थिति में संस्थान का निरीक्षण किया जहां पर एक प्लास्टिक के धामें में लगभग 10 किलो धनिया पाउडर आमजन को विक्रय वास्ते रखा हुआ था जिसमें मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत गवाह के सामने विक्रेता मालिक को प्रपत्र 5ए भरकर दिया तथा असल प्रति पर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जिस पर मेरे, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर हैं। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता मालिक को बता दिया था कि यह धनिया पाउडर का नमूना एफएसएसए एक्ट के तहत वास्ते जांच हेतु ले रहा हूँ। प्रपत्र 5ए की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता मालिक व गवाहान की उपस्थिति में उक्त धनिया पाउडर को अच्छी तरह से हिलामिलाकर एकरूप कर, उस में से 2 किलो धनिया पाउडर (लूज) का नमूना वास्ते जांच हेतु तुलवाकर खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता मालिक को रु. 320/- नगद (अक्षरे तीन सौ बीस रु. मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर मेरे, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर हैं। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं क्रमांक Q-1151, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात खरीद शुदा खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (लूज) के चारों नमूना पैकेटो पर एक-एक लेबल गोद से चिपकाया। फिर चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप, कोड व क्रमांक Q-1151 को नियमानुसार गोद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहो के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता रामगोपाल औझा एवं गवाहान ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई। फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की तथा प्रत्येक पर नमूना सील लगाई जिससे नमूना डिब्बों सील की थी। दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान को दिनांक 29.07.2019 को देकर रसीद प्राप्त की जिसकी असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है तथा शेष नमूना को फार्म नं. 6 प्रतिया आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्दकर सील मोहर कर श्रीमान डीओ एवं मुख्य चिकित्सा



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को दिनांक 29.07.2019 को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंगन है।

- (3) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्र क्रमांक चिकि/FSSA/जांच रिपोर्ट /2019/481-82 दिनांक 11.09.2019 के द्वारा जांच रिपोर्ट संख्या LS/07/Act/2019/07 दिनांक 02.08.2019 के द्वारा मालूम हुआ कि लिया गया धनिया पाउडर (लूज) का नमूना Contravenes Regulation No. 2.3.14(15) of Food Safety and Standard (Prohibition and Restrictions on sales) Regulation 2011, because it sold in Loose Condition होना पाया गया है। उक्त नमूने की पत्रावली आवेदक द्वारा अभिहित अधिकारी को प्रस्तुत कि गयी एवं खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट की एक प्रति अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर ने विक्रेता एवं मालिक को प्रेषित करते हुए अधिनियम की धारा 46(4) के तहत अपील करने की सूचना रजिस्टर्ड डाक से पत्र क्रमांक:-चिकि/FSSA/जांच रिपोर्ट/2019/481-82 दिनांक 11.09.19 प्रेषित किया। जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच का आवेदन फार्म 8 में जांच रिपोर्ट प्राप्ति से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। परन्तु खाद्य कारोबारकर्ता रामगोपाल औझा ने पुनः जांच हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया।

प्रकरण में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर को खुली अवस्था में विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(v) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 के तहत जुर्माना योग्य है तथा साथ ही खाद्य रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना धनिया पाउडर को विक्रय कर इसी अधिनियम की धारा 31(2) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना भी इसी अधिनियम की धारा 58 में ही निर्धारित है। जो जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियोजन ने स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर का विक्रय करके अधिनियम के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः अभियुक्त पर जुर्माना आरोपित किया जावे।

- (4) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण की सुनवाई तिथि 03.03.2021 को अभियुक्त रामगोपाल ओझा पुत्र देवीलाल औझा ने उपस्थित होकर लिखित स्टेटमेन्ट/जवाब प्रस्तुत किया। प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत लिखित जवाब में यह अंकित किया गया है कि दिनांक 26.07.2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नागौर श्री राजेश कुमार जांगिड़ द्वारा जिस धनिया पाउडर का नमूना



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता मालिक व गवाहान की उपस्थिति में उक्त धनिया पाउडर को अच्छी तरह से हिलामिलाकर एकरूप कर, उस में से 2 किलो धनिया पाउडर (लूज) का नमूना वास्ते जांच हेतु तुलवाकर खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता मालिक को रू. 320/- नगद (अक्षरे तीन सौ बीस रू. मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेश कुमार जांगिड़, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर हैं। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं सीरीयल न0, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात खरीद शुदा खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (लूज) के चारों नमूना पैकेटों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। फिर चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप, कोड व क्रमांक Q-1151 को नियमानुसार गोद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहो के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता रामगोपाल औझा एवं गवाहान को पढ़, सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई।

- (8) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म न. 5ए, खाद्य पदार्थ का विक्रय बिल एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म- गोपिका फ्लोर मिल्स, राहुगेट के पास, लाडनू जिला नागौर, विक्रेता मालिक रामगोपाल औझा से खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गयी है। तत्पश्चात कार्यालय पहुँच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नं. 6 की एक-एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को अलग-अलग बन्द कर गोद से चिपकाई एवं लिफाफों को सील चपड़ी किये। फार्म नं. 6 की एक प्रति अलग से लिफाफा में बन्द कर, चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान को दिनांक 29.07.2019 को देकर रसीद प्राप्त की शेष नमूना मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्दकर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को दिनांक 29.07.2019 को आवेदक ने स्वयं जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई।



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

पत्रावली पर फूड एनालिस्ट राजस्थान अजमेर के FORM-B रिपोर्ट नं. L.S/07/Act/2019/07 दिनांक 02.08.2019 का अवलोकन किया गया जिसमें फूड एनालिस्ट का मत निम्न प्रकार अंकित किया है:-

Opinion- The Sample of **Dhania Powder** bearing Code No. and Sr. No. Q-1151 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Nagaur **Contravenes Regulation No. 2.3.14(15)** of Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations, 2011 **because it sold in loose condition.**

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर से खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता रामगोपाल औझा से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर का नमूना Q-1151 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(v) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम 2006 की धारा 58 के तहत जुर्मान योग्य है, तथा साथ ही खाद्य रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना धनिया पाउडर को विक्रय कर इसी अधिनियम की धारा 31(2) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना भी इसी अधिनियम की धारा 58 के तहत जुर्माने योग्य है। खाद्य विश्लेषक, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान की जांच रिपोर्ट संख्या LS/07/Act/2019/07 दिनांक 02.08.2019 के अनुसार उक्त धनिया पाउडर नमूना नं.- **1151 Contravenes Regulation No.2.3.14.(15) of Food safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulation, 2011 because it sold in loose condition** होना पाया गया। खाद्य विश्लेषक, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ खुली अवस्था में विक्रय होना पाया है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(v) इस प्रकार है:-

धारा 26:- खाद्य कारोबार कर्ता के दायित्व:-

- (2) कोई भी खाद्य कारोबार कर्ता निम्नलिखित किसी खाद्य वस्तु का:-
(v) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के किसी अन्य उपबंध के उल्लंघन में, स्वयं विनिर्माण, भंडारण, विक्रय या वितरण नहीं करेगा अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा नहीं करवाएगा।



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डी.डवाना (नागौर)

धारा 31:- खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण:-

31(2):-उपधारा (1) की कोई बात ऐसे किसी छोटे विनिर्माता को जो स्वयं किसी खाद्य पदार्थ का विनिर्माण करता है या विक्रय करता है या किसी छोटे फुटकर विक्रेता, हाकर, फेरी वाले या किसी अस्थायी स्टालधारक, या खाद्य कारबार से संबंधित किसी लघु उद्योग या कुटीर उद्योग या ऐसे किसी अन्य उद्योग या छोटे खाद्य कारबारकर्ता को लागू नहीं होगी, किंतु वे स्वयं को मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पूर्ण खाद्य की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना या उपभोक्ताओं के हितों को प्रभावित किए बिना ऐसे प्राधिकारी के पास और ऐसे रीति में रजिस्टर कराएंगे जिसे विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

धारा 58:-जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किन्हीं भी उपबंधों का उल्लंघन करता है जिसके लिए इस अध्याय में कोई पृथक शास्ति उपबंधित नहीं है, शास्ति का, जो दो लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्र क्रमांक चिकि/FSSA/जांच रिपोर्ट/2019/481-82 दिनांक 11.09.19 से उक्त को जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की गई है, किन्तु इन्होंने पुनः जांच हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। अतः उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थ सेम्पल Q-1151 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(v) का उल्लंघन पाया गया जो उक्त अधिनियम 2006 की धारा 58 के तहत जुर्मान योग्य है, तथा साथ ही खाद्य रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना धनिया पाउडर को विक्रय कर इसी अधिनियम की धारा 31(2) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना भी इसी अधिनियम की धारा 58 के तहत जुर्माने योग्य है। इस प्रकार, खुली अवस्था में खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु फर्म:-गोपिका फ्लोर मिल्स, राहुगेट के पास, लाडनूं जिला नागौर दोषी व उत्तरदायी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 जयपुर दिनांक 05.04.12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 के तहत प्रतिवादी रामगोपाल औझा पुत्र देवीलाल, उम्र 60 जाति ब्राह्मण, निवासी- राहुगेट के पास, लाडनूं तह. लाडनूं जिला नागौर फर्म:- गोपिका फ्लोर मिल्स, राहुगेट के पास, लाडनूं जिला नागौर पर राशि रुपये 18000/- (अक्षरे रुपये अठारह हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त




अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीहवना (नागौर)

शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवायी जाकर घालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थी निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

(9) आदेश दिनांक 17.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।




(रिछपाल सिंह बुरडक)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना